

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री रमेश चन्द यादव, प्रधानाचार्य, GN मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमकाथाना वार्ड न.15, जिला सीकर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर थानागाजी जिला जिला अलवर एवं श्री शेर सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कारौली, जिला करौली को GN मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमकाथाना वार्ड न.15, जिला सीकर में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री रमेश चन्द यादव द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2905/2019 रमेश चन्द यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

माननीय अपील अधिकरण द्वारा उक्त अपील में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री रमेश चन्द यादव के सम्बन्ध में माननीय अपील अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अपील अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी श्री रमेश चन्द यादव के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्री रमेश चन्द यादव GN मोदी राउमावि निमकाथाना वार्ड न. 15 जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, श्री शेर सिंह, का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर, थानागाजी, जिला अलवर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय अपील अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/रमेश चन्द/3067/2019 दिनांक 03 |12| 2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जयपुर संभाग, चूरु/जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर/अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर/अलवर।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)